निविदा शुल्क 100/—

निविदा प्रपत्र

सेवामें,
वित्त नियंत्रक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उदयपुर।

विषयः—वर्ष 2006 एवं उसके पश्चात् के मॉडल की इंडिका/एम्बेसेडर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने के सम्बंध में।
प्रसंगः—आपकी निविदा सूचना क्रमांक . . . . .. .दिनांक . . . .

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक निविदा सूचना के क्रम में मेरे/हमारे द्वारा निविदा शुल्क 100/—नकद रसीद संख्या. . . . . .दिनांक . . . . द्वारा अथवा डी.डी पे ओडर क्रमांक . . . . दिनांक . . . . द्वारा जमा करा दिये गये है। मैं/हम विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना क्रमांक . . . . .दिनांक . . . . में वर्णित सभी शर्तों एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तों से सहमत है। इन शर्तों का मैंने/हमने ध्यान से अवलोकन एवं मनन कर लिया है सहमती स्वरूप मैंने/हमने प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है। इस प्रारूप के साथ अमानत राशि रूपये 4000/— अक्षरे चार हजार रूपये का बैंकर चैक संख्या . . . . .दिनांक . . . . . .जारी कर्ता बैंक का नाम . . . . वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पक्ष में संलग्न कर प्रेषित है। निविदा प्रपत्र के साथ निम्न प्रपत्र भी संलग्न है।

1—निविदादाता व वाहन की संक्षिप्त सूचना(परिशिष्ट 'अ' के अनुसार)
2—वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन चालक का लाईसेंस व वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति।
3—निविदा प्रपत्र की शर्तों के अधीन मैं/हम इंडिका/एम्बेसेडर कार के लिये निम्नानुसार निविदा राशि प्रस्तावित करता हूँ/करते है।

3.1 विकल्प—1

वाहन/मॉडल	प्रतिमाह न्यूनतम 5000 कि.मी. के लिये (राशि रूपये में)	5000 कि.मी. के पश्चात् प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिये प्रस्तावित दर(राशि रू. में)

3.2 विकल्प—2

वाहन/मॉडल	प्रतिमाह न्यूनतम 3000 कि.मी. के लिये (राशि रूपये में)	3000 कि.मी. के पश्चात् प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिये प्रस्तावित दर(राशि रू. में)

वाहन किसी माह में निर्धारित न्यूनतम दूरी से भी कम दूरी तय करता है तो विश्वविद्यालय को उक्त न्यूनतम एक मुश्त राशि का भुगतान करना होगा अर्थात प्रथम 5000/3000 किलोमीटर के लिये पृथक से मेरी/हमारी अन्य कोई मांग नहीं है।

भवदीय

नाम पता

दूरभाष नम्बर

<u>निविदा की शर्ते</u>

निविदा सूचना कमांक . . . . .दिनांक . . . . के क्रम में इंडिका/एम्बेसेडर कार वार्षिक आधार पर किराये पर लिये जाने के सम्बंध में शर्ते।

1–वाहन का वैद्य टैक्सी परमीट होना चाहिये।

2–इण्डिका/एम्बेसेडर कार मॉडल 2006 या उसके पश्चात् का होना चाहिए।

3–अनुबंध अवधि वाहन उपलब्ध कराने की दिनांक से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

4–वाहन राजस्थान परिवहन अधिनियम(Moter Vehicle act) के अन्तर्गत टैक्सी का अनुज्ञापत्र होना चाहिये।

5–वाहन विश्वविद्यालय के अधिकार में पूर्णकालिक आधार पर(24 घंटे) रहेगा।

6–निविदादाता द्वारा वाहन किरायें पर उपलब्ध कराने के प्रतिफल की राशि निविदा प्रपत्र में निर्धारित तालिका में अंकित करना होगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि दिनांक 31.1. 2007 अपरांह 1.00 बजे तक एवं निविदा प्रपत्र पूर्ण कर जमा कराने की तिथि 31.1.2007 को अपरांह 3.00 बजे तक होगी। जिसे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 3.30 अपरांह पर खोला जायेगा।

7–निविदा के लिये अमानत राशि 4000/–अक्षरे चार हजार रूपये निर्धारित है जिसे निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा। उक्त राशि का डी.डी अथवा बैंकर चैक वित्त नियंत्रक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के पक्ष में उदयपुर में देय संलग्न किया जाना आवश्यक है। अमानत राशि संलग्न नहीं होने पर निविदा मान्य नहीं होगी। सफल निविदादाता की अमानत राशि, धरोहर राशि में परिवर्तित हो जायेगी। मासिक दावे की सकल राशि में से 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में कटौती की जायेगी, जिसे अनुबंध अवधि में संतोषजनक कार्य करने की स्थिति में अनुबंध अवधि के पश्चात् लौटाई जायेगी।

8–वाहन चालक को देय समस्त वेतन–भत्ते व अन्य परिलाभ, वाहन की मरम्मत रखरखाव व्यय रोड़ टैक्स डिजल/पैट्रोल, ऑयल व समस्त व्यय निविदादाता को स्वंय को करना होगा। अन्य शब्दों में वाहन से सम्बंधित समस्त व्यय सफल निविदादाता को वहन करना होगा लेकिन टोल टेक्स का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा।

9–अनुबंध वार्षिक आधार पर किया जायेगा लेकिन भुगतान मासिक आधार पर होगा। मासिक आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा 5000/3000 किलोमीटर के न्यूनतम सचालन की गांरटी रहेगी तथा निविदादाता को न्यूनतम 5000/3000 किलोमीटर मासिक आधार पर संचालन गांरटी को ध्यान में रखते हुए वाहन किराये की सेवा के प्रतिफल में निविदा प्रपत्र के विकल्प –1 व विकल्प–2 की तालिका में एक मुश्त राशि प्रस्तावित करनी होगी। इससे अधिक किलोमीटर के संचालन की स्थिति

में निविदादाता को निविदा प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अतिरिक्त किलोमीटर के संचालन के लिये प्रत्येक किलोमीटर की दर प्रस्तावित करनी होगी। विश्वविद्यालय विकल्प–1 अथवा विकल्प–2 में प्रस्तावित प्रस्ताव में से कोई एक अथवा दोनों विकल्पों के प्रस्तावों को स्वीकार कर सकता है। दोनों विकल्प स्वीकार करने पर सफल निविदादाता को दो वाहन उपलब्ध कराने होंगे व आवश्यक अमानत राशि जमा करानी होगी। विश्वविद्यालय विकल्प–1 एवं विकल्प–2 के लिये भिन्न–भिन्न निविदादाताओं के प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये भी स्वतंत्र होगा।

10–किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।

11–विशिष्ट परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अनुबंध एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिये विश्वविद्यालय से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति अधिकार नहीं होगा। अनुबंध 1 वर्ष से पूर्व समाप्त होने की स्थिति में सेवा अवधि के लिये समानुपातिक भुगतान देय होगा।

12–सफल निविदादाता का वाहन खराब होने की दशा में तुंरत दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी। अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर हुए अतिरिक्त व्यय का भार सफल निविदादाता को वहन करना होगा। वैकल्पिक व्यवस्था में असफल होने पर प्रत्येक अवसर पर रूपये 500/–की क्षतिपूर्ति सफल निविदादाता को करनी होगी।

13–निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेंस एवं वाहन के बीमा पॉलिसी की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना वांछनीय होगा।

14–वाहन के किराये का भुगतान वाहन के जारी लोग बुक के आधार पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक(गत माह से सम्बंधित अवधी) किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर किया जावेगा।

15–सफल निविदादाता को वाहन का संचालन प्रभारी अधिकारी, पूल के निर्देशानुसार करना होगा। तथा सम्बंधित उपयोगकर्ता का सत्यापन लॉग बुक में करवाना होगा।

16–वाहन में अधिकृत व्यक्ति ही यात्रा करेंगे तथा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को यात्रा करते हुए पाये जाने पर निविदादाता से प्रत्येक अवसर पर रूपये 500/–(अक्षरे रूपये पॉच सौ मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जायेगी। अनाधिकृत व्यक्ति को वाहन में बैठाने/यात्रा करने पर उत्पन्न किसी जोखिम के प्रति विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

17–वाहन चालक की मुख्यालय से बाहर यात्रा के दौरान किसी प्रकार का विश्राम भत्ता, दैनिक भत्ता इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा।

18–अनुबंध की अवधि में किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि का निविदा की दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

19–वाहन का पूर्ण बीमा (काम्प्रसिव) होना चाहिये। बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

20–निविदादाता को श्रम व वाहन अधिनियम (Moter Vehicle act) कानूनों की अक्षरस पालना करनी होगी

21–अनुबंध की शर्तो, नियमों के निर्वचन व आशय पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को भी मान्य होगा।

22–वाहन के चालान, हानि या किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही के लिये महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

23–निविदादाता अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करेगा अर्थात सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।

24–विश्वविद्यालय द्वारा निविदादाता को देय भुगतान पर नियमानुसार आय कर एवं अन्य प्रभावी कर की कटोती की जावेगी।

25–सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में एक अनुबंध भी करना होगा। इस हेतु निर्धारित राशि का स्टाम्प कार्यालय में कार्यादेश के 7 दिवस में जमा कराकर अनुबंध निष्पादित कराना होगा।

26–इस अनुबंध से सम्बंधित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता